कार्यालय सदस्य सचिव, शुल्क रेगूलेटरी कमेटी, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प. 1 (1)एमई/ग्रुप–1/2003 जयपुर, दिनांक 21 MAY 2010

–आ दे श–

1– शुल्क रेगुलेटरी कमेटी द्वारा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण तथा विचार–विमर्श के उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2010–11 के लिये निम्नांकित कोर्सेज हेतु समिति द्वारा अंतरिम शुल्क निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:–

(i) पी.जी. (एम.डी./एम.एस.) कोर्सेज हेतु– रूपये 6.00 लाख प्रति छात्र प्रतिवर्ष
(ii) पी.जी. (एम.डी.एस.) कोर्सेज हेतु– रूपये 4.00 लाख प्रति छात्र प्रतिवर्ष

2– यह शुल्क ढ़ांचा इस शर्त के अध्यधीन रहेगा कि यह अन्तरिम शुल्क, शुल्क रेगुलेटरी कमेटी के द्वारा अन्तिम रूप से घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। उक्त संभाव्यता के आधार पर निम्नांकित मेडिकल/दन्त कालेजों को बढ़ा हुआ शुल्क वसूल करने अथवा घटा हुआ शुल्क लौटाने की अनुमति दी जाती है। अतः निम्न कॉलेज छात्रों से इस आशय का वचन पत्र निष्पादित करा सकेगें–

(अ) महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल, जयपुर।
(ब) महात्मा गांधी दन्त कॉलेज एण्ड अस्पताल, जयपुर।
(स) दर्शन दन्त कॉलेज, उदयपुर।
(द) पेसिफिक दन्त कॉलेज, उदयपुर।
(य) जयपुर दन्त कॉलेज, जयपुर।

3– उपर्युक्त शुल्क के अलावा निम्न शुल्क भी शुल्क रेगूलेटरी समिति की सिफारिश के अनुसार छात्रों से लिये जा सकेंगे–

(i) अधिकतम छात्रावास शुल्कः–

1– सिंगल सीट कमरे हेतु	रूपये 18,000/–	प्रतिवर्ष प्रति छात्र
2– डबल सीट कमरे हेतु	रूपये 14,500/–	,, ,, ,,
3– ट्रिपल सीट कमरे हेतु	रूपये 12,000/–	,, ,, ,,

नोटः– (1) मैस हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की गयी राशि छात्रों से सहकारिता के आधार पर ली जायेगी।
(2) हॉस्टल के बिजली आपूर्ति के बिलों की राशि में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के मध्य समान रूप से संविभाजित (Apportion) की जावेगी।

(ii) कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार रू. 10000/– कॉशन मनी वसूल की जायेगी, जो कि कोर्स पूर्ण होने पर वापिस की जावेगी। होस्टल के लिये भी 10,000/–रूपये कॉशन मनी के रूप में एक ही बार प्रवेश के समय वसूल की जायेंगी, जो कि होस्टल छोड़ने पर वापिस की जावेगी।

(iii) उक्त छात्रों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एनरोलमेन्ट शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल कर सकेंगे।

4– उक्त कॉलेज औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी तरह का अन्य शुल्क अथवा डोनेशन, विकास शुल्क, लेबोरेटरी शुल्क, होस्पीटल शुल्क, होस्टल शुल्क, लाईब्रेरी शुल्क इत्यादि छात्रों से वसूल नहीं करेंगे। उक्त कॉलेज यदि बिन्दु संख्या 1 एवं 3 में उल्लेखित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क राशि छात्रों से वसूल करता हैं तो वह केपीटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जावेगा तथा ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर कॉलेज के विरूद्ध उपयुक्त दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।

5– शैक्षणिक सत्र 2009–10 के लिये निर्धारित अंतरिम शुल्क को अंतिम शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सी.एम. मीना)
सदस्य सचिव
शुल्क रेगूलेटरी कमेटी
राजस्थान, जयपुर
क्रमशः–––

Reported 23